International Journal of History 2020; 2(2): 191-193

E-ISSN: 2706-9117
P-ISSN: 2706-9109
IJH 2020; 2(2): 191-193
Received: 21-05-2020
Accepted: 27-06-2020

डॉ. देवेन्द्र कुमार आजाद
इतिहास विभाग, एल. सी. एस. कॉलेज, दरभंगा बिहार, भारत

Corresponding Author:
डॉ. देवेन्द्र कुमार आजाद
इतिहास विभाग, एल. सी. एस. कॉलेज, दरभंगा बिहार, भारत

ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में चम्पारण सत्याग्रह आन्दोलन और महात्मा गाँधी

डॉ. देवेन्द्र कुमार आजाद

सारांश
भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में चम्पारण का नाम अत्यन्त ही महत्वपूर्ण है। प्राचीन काल से ही यह भू–भाग मिथिला की सीमाओं के अन्तर्गत रहा। महात्मा गाँधी ने विदेष में सत्याग्रह का प्रयोग किया था। वहीं से प्रत्यागमन के पष्चात उन्होंने उस नवीन अस्त्र का साहसपूर्ण एवं सफल प्रयोग भारत–भूमि में सर्वप्रथम चम्पारण जिले में ही किया। सभी प्रकार के मानव कष्टों के निवारणार्थ उनके सिद्धान्तानुसार सत्याग्रह सर्वोत्तम औषधि थी। किन्तु उसके उचित प्रयोग के लिए आत्मबल की आवष्यकता वे बताते थे। जिसकी प्राप्ति सत्य, अहिंसा, सेवा, त्याग, एवं आत्म–षुद्धि पर आधारित है। महात्मा गाँधी ने सत्याग्रह के सिद्धान्तों के आधार पर कार्य कर चम्पारण जिले की जनता का कष्ट दूर किया था। उसी का सफल प्रयोग उन्होंने अखिल–भारतवर्षीय कांग्रेस के माध्यम से विषाल रूप में अंग्रेजी षासन से भारत को मुक्त करने के हेतु किया। चम्पारण में निलहे कोठी वाले अंग्रेजों के अत्याचारों से वही की प्रजा को मुक्ति सत्याग्रह द्वारा मिली, और भारतवर्ष भी अन्ततः विदेषियों की दासता से उसी के द्वारा मुक्त हुआ।

प्रस्तावना
सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ है सत्य के प्रति आग्रह। सत्य के प्रति यह आग्रह व्यक्ति को शक्तिशाली बनाता है। इस आग्रह को बनाये रखने के लिए एक मात्र साधन है अहिंसा। दक्षिण अफ्रीका में सरकार का प्रतिरोध करते समय महात्मा गाँधी ने अपने आन्दोलन को निष्क्रिय प्रतिरोध का नाम दिया था। धीरे–धीरे महात्मा गाँधी को यह एहसास हुआ कि उनके द्वारा चलाया गया आन्दोलन निष्क्रिय शब्द से पूर्णतया नहीं समझा जा सकता क्योंकि उनके आन्दोलन में कुछ विशेषताएँ ऐसी थी, जो उसे निष्क्रिय प्रतिरोध से अलग करती थी।
वास्तव में सत्याग्रही कानून की पालन करने वाला होता है और वे उसी कानून के विरोध की बात करते है जो नैतिकता का विरोधी होता है। गाँधी जी के लिए नैतिकता सर्वोच्च थी। सत्याग्रह के व्यावहारिक पक्ष को स्पष्ट करते हुए गाँधी जी मानते थे कि सत्याग्रह करने वाले को अपनी मूल माँगों से आगे नहीं बढ़ना चाहिए। उनका विचार था कि सत्याग्रह से प्राप्त सफलता को बनाये रखने के लिए निरन्तर सत्याग्रही बने रहना आवश्यक है। हेनरी डेविड थोरो के विचारों से प्रभावित होते हुए गाँधीजी मानते थे कि व्यक्ति सबसे पहले है और उसको नैतिक मूल्यों को बनाये रखने के लिए हमेशा संघर्षरत रहना चाहिए। अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सविनय अवज्ञा आन्दोलन का प्रयोग करना चाहिए और इसके परिणाम को भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। गाँधीजी के अनुसार व्यक्तिगत हितों के लिए सत्याग्रह नहीं करना चाहिए। सत्याग्रह का प्रयोग हमेशा जन–हिताय, जन–सुखाय होना चाहिए। सत्याग्रह का प्रयोग करते समय भी महात्मा गाँधी विरोधी पक्ष से निरन्तर बात–चीत करने पर बल देते थे और सभी प्रयासों में विफल होने पर ही सत्याग्रह प्रयुक्त करने की सलाह देते थे। सत्याग्रह आरम्भ करने से पूर्व सत्याग्रही को लोकमत अपने पक्ष में करना चाहिए। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जिन बुराईयों के विरूद्ध वह संघर्ष करता है वे बुराईयाँ स्वयं में विद्यमान न हो। वह आत्मशुद्धी और सत्याग्रह से अपनी लड़ाई जीत सकता है। उसे हमेशा अपने विरोधी से बात–चीत करने के लिए रास्ता खुला रखना चाहिए। गाँधीजी सत्याग्रही बनने की बहुत सी शर्ते बताते है सत्याग्रह के साथ–साथ रचनात्मक कार्य भी करते रहना चाहिए। सेवा तथा प्रेम की भावना के फलस्वरूप ही सत्याग्रह सफल हो सकता है। सत्याग्रह विनम्रता का प्रतीक है और हिंसा का विकल्प है। आमरण अनशन सत्याग्रही का अंतिम हथियार है। जिसका प्रयोग विशेष परिस्थिति में ही किया जाना चाहिए। गाँधीजी ने सत्याग्रह में विभिन्न अस्त्रों का प्रयोग किया था जिस में असहयोग आन्दोलन सबसे महत्त्वपूर्ण था। वे इसमें हड़ताल, सामाजिक बहिष्कार, आर्थिक बहिष्कार, धरना, सविनय अवज्ञा, हजरत, उपवास इत्यादि है। वे सत्याग्रह के सकारात्मक पक्ष को महत्त्व देते थे जिसमें केवल विरोध करना ही नहीं अपितु सकारात्मक कार्यक्रम को बनाये रखना भी आवश्यक है। उन्होंने 15 सूत्री सकारात्मक कार्यक्रम बनाये थे जिसमें खादी का प्रचार–प्रसार, ग्रामोद्योगों का विकास, ग्राम स्वराज्य की स्थापना, बुनियादी शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, नारी उद्धार, आर्थिक

समानता इत्यादि शामिल है।

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में चम्पारण का नाम अत्यन्त ही महत्वपूर्ण है। प्राचीन काल से ही यह भू–भाग मिथिला की सीमाओं के अन्तर्गत रहा। महात्मा गाँधी ने विदेष में सत्याग्रह का प्रयोग किया था। वहीं से प्रत्यागमन के पष्चात उन्होंने उस नवीन अस्त्र का साहसपूर्ण एवं सफल प्रयोग भारत–भूमि में सर्वप्रथम चम्पारण जिले में ही किया। सभी प्रकार के मानव कष्टों के निवारणार्थ उनके सिद्धान्तानुसार सत्याग्रह सर्वोत्तम औषधि थी। किन्तु उसके उचित प्रयोग के लिए आत्मबल की आवष्यकता वे बताते थे। जिसकी प्राप्ति सत्य, अहिंसा, सेवा, त्याग, एवं आत्म–षुद्धि पर आधारित है। महात्मा गाँधी ने सत्याग्रह के सिद्धान्तों के आधार पर कार्य कर चम्पारण जिले की जनता का कष्ट दूर किया था। उसी का सफल प्रयोग उन्होंने अखिल–भारतवर्षीय कांग्रेस के माध्यम से विषाल रूप में अंग्रेजी षासन से भारत को मुक्त करने के हेतु किया। चम्पारण में निलहे कोठी वाले अंग्रेजों के अत्याचारों से वही की प्रजा को मुक्ति सत्याग्रह द्वारा मिली, और भारतवर्ष भी अन्ततः विदेषियों की दासता से उसी के द्वारा मुक्त हुआ। चम्पारण में ही, सारे उत्तर बिहार में निलहे कोठी वालों का जाल–सा बिछा हुआ था। स्थान–स्थान पर उनकी कोठियाँ थी, जिसके आस–पास के विस्तृत क्षेत्र में वे नील उपजाते एवं उसका व्यापार करते थे। उनकी अपनी भूमि बहुत कम थी। इसलिए अपनी आवष्यकता की पूर्ति हेतु वे अनेक उपायों का अवलम्बन करते थे। इन कोठीवालों ने आपस में मिलकर अपने–अपने कार्य क्षेत्रों की हदबन्दी कर ली थी एक कोठी के कार्य क्षेत्र के अन्दर कई ग्राम पड़ते थे। उन ग्रामो के अधिवासी चाहे वे जमींदार हो या रैयत उस क्षेत्र के कोठीवाल अंग्रेज के ''टीनेन्ट'' (प्राजा) कहे जाते थे। उनके उपर उस नील–कोठी के स्वामी का प्रभुत्व माना जाता था। यद्यपि उनसे उनका किसी प्रकार का भूमि संबंधी अथवा रूपये पैसे के लेन–देन का संबंध नहीं रहता था। कोठीवाले साहब बहुधा जमींदारों से बकाष रैयती जमीनों का ठीक लिख लेते थे। इस हेतु वे उन्हें थोड़ा अग्रिम भी प्रायः दिया करते थे। इस प्रकार की ठीकेदारी के बल पर वे रैयतों के मालिक बन बैठते थे, और उन पर हुकुमत करते थे। रैयतों की जमीन का भी ठीका लेते थे। इसके अतिरिक्त जमींदारों एवं रैयतों को अपने अधिकार की जमीन से प्रति बीधा तीन कट्ठा निकाल कर उसमें नील की खेती करनी पड़ती थी। इस पद्धति को तीन–कठिया की संज्ञा प्राप्त थी। उन सबों को बढ़िया से बढ़िया एवं उर्वरा खेतों में से ही नील की खेती हेतु प्रति बीघा तीन कट्ठा के हिसाब से जमीन सुरक्षित रखनी पड़ती थी। उसके बदले में कोठीवाले साहब अपनी इच्छा के अनुसार एक छोटी सी रकम प्रति बीधा के हिसाब से उन्हें देते थे। खेत की जोताई–कोड़ाई बढ़िया नहीं होने पर निलहे अंग्रेजी कृषकों की भर्त्सना एवं डाँट–फटकार करते अथवा जुर्माना कर उनसे रूपये वसूल करते थे। कभी–कभी दूसरे प्रकार का दंड भी दे देते थे। उनके सामने हिन्दुस्तानी जनता को जूते पहन कर जाना, छाते–ओढ़ कर चलना आदि उनका अनादर और अपमान समझा जाता था। वे अपने सामने कुर्सी अथवा बेंच पर बैठने की आज्ञा बहुत कम हिन्दुस्तानियों को देते थे। उन्हें वहाँ खड़े होकर बातें करनी पड़ती थी। साहब स्वयं बहुमूल्य आसन पर आसीन होते थे।

जैसा कि उपर कहा गया है कि निलहे कोठीवाले अंग्रेज जमींदारों से उनकी रैयती जमीनों की भी ठेकेदारी करते थे। ठीकेदार के अधिकार से रैयतों से माल गुजारी वसूल करना उनका न्याय सिद्ध अधिकार था। पर मालगुजारी के रूपये ठीक समय पर नहीं देने पर वे न्यायालय की षरण नहीं लेते थे। वे रैयतों के बैल, घोड़े तथा अन्य पषुओं और सामानों को जमाकर अपने यहाँ मंगवा लेते थे। रूपये की चूकती कर देने पर उनकी पषु एवं सामानों को वे लौटा देते थे। कभी–कभी उन्हें षाक–भाजी के मूल्य में बेचकर उससे अपने पैसे की चुकती कर लेते थे।

इन निलहे कोठीवाल साहबों के नील की खेती करने की दो पद्धतियाँ थी–जिराएन तथा असामीवार। जिराएन पद्धति से कि जाने वाली खेती की व्यवस्था एवं देखरेख वे स्वयं अपने वेतन भोगी सेवको के माध्यम से कराते थे। खेतों में काम करने हेतु रैयत मजदूरों को बाध्य होना पड़ता था। अपनी इच्छा के विरूद्ध भी उन्हें नील के खेतों में जाकर काम करना ही पड़ता था जिसके लिए पारिश्रमिक नाम मात्र का मिलता था। इसके लिए वे सदा भीतर से असंतुष्ट रहते थे। किन्तु अपने असंतोष को प्रकट करने की क्षमता उनमें न थी। असामीवार पद्धति में कोठी के मालिक असामियों से नील की खेती करबाते थे। ''तीन–कठिया'' की चर्चा उपर की जा चुकी है। असामियों को अपनी कृषि की जमीन में से अच्छी एवं उर्वरा भूमि निकालकर उसमें कोठीवालों के लिए नील उपजाना पड़ता था। जिसके उनके अन्न की उपज कम हो जाती थी, और उन्हें अपने बाल–बच्चों के साथ भूखे रहकर समय काटना पड़ता था। इसके अतिरिक्त नील की खेती हेतु जमीन प्राप्त करने और उसमें नील उपजानें के दो और तरीके थे–''खुराकी तथा कुरताउली''। खुराकी पद्वति के अनुसार तील की खेती करने के लिए ''कबुलियते ऐसे आसामियों से लिखा ली जाती थी जो कोठी के अधीन रैयत नहीं रहते थे। कुरतावली अत्यन्त ही कष्टप्रद पद्धति थी। उसके अनुसार रैयतों को ये कोठीवाल कर्ज देकर उनकी आवा संहित सारी जमीन दीर्धकाल के लिए मजबूत करवा लेते थे। कभी–कभी उसकी अवधि इतनी लम्बी होती थी कि मजबूत करने वाले के जीवन काल में ऋृण की चुकती और उनकी जमीन का लौटना असंभव होता था। ऐसे मनुष्यों कों कोठीवालों का दास बनकर जीवन व्यतीत करना पड़ता था। वे एक प्रकार से उनके दास समझें जाते थे। निलहे साहब कभी–कभी मजदूरों को नाम मात्र की मजदूरी भी नहीं देते थे। उन्हें पेट बाँधकर काम करना पड़ता था। उन गरीब असहायों की सुनवाई कहीं होने वाली नहीं थी। दंड विभाग के अधिकारी विषेषतया अंग्रेज ही होते थे। उनके बाद हाथ निलहे कोठी वालों के माथे पर सदा बने रहते थे, जिससे उनकी रक्षा होती रहती थी, और वे निर्भीक होकर अपनी मनमानी करते जाते थे। गरीब हिन्दुस्तानी प्रजा के प्रति उनकी सहानुभुति कम थी। ईष्वर ही उनका एक मात्र सहारा था। ''निर्बल के बल राम गोसाई'' पद का स्मरण आपत्तिकाल में क्लेष से मुक्ति का एक मात्र साधन उनके पास बच रहा था। अंत में उन सबों का उद्धार आष्चर्यजनक रूप में महात्मा गाँधी एवं उनके कतिपय स्थानीय सहकर्मियों के सहयोग से हुआ।

लखनऊ में अखिल भारतवर्षीय कांग्रेस का अधिवेषन 1916 ई0 में अम्बिका चरण मजुमदार की अध्यक्षता में हुआ। चम्पारण के किसान नेता राजकुमार षुक्ल ने वहाँ जाकर महात्मा गाँधी से भेट की तथा उत्तर बिहार में निलहें कोठी के अंग्रेजों के द्वारा वहाँ के निरीह किसानों एवं खेतिहार मजदूरों के प्रति किये जाने वाले पषुवत् व्यवहार और अत्याचार की कथा सुनायी। उस कांग्रेस में समस्तीपुर के देषभक्त वकील बाबू, वरिष्ठ नारायण सिंह प्रतिनिधि के रूप में सम्मिलित हुए थे। उन्होंने वहाँ एक प्रस्ताव उपस्थित कर सरकार से अनुरोध किया कि ''वह षीघ्र षासकीय एवं अषासकीय सदस्यों की एक समिति का गठन कर उसके द्वारा कृषकों के कष्ट और निलहे कोठीवालों एवं उनकी रैयतों के बीच कटु, संबंध के करणों का पता लगाने और उनका निराकरण षीघ्र अति षीघ्र करें। वह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ।

महात्मा गाँधी के आवास पर पीड़ित किसानों एवं मजदूरों का ताँता लग गया। गाँधी जी ने उन सबों का बयान लेना आरंभ किया। पटना के सदाकत आश्रम में बिहार विद्यापीठ के पुस्तकालय में उन कष्ट पीड़ित किसानों एवं मजदूरों द्वारा वर्णित वृतान्तों की सहस्त्रों टंकित प्रतियाँ आज भी प्राप्त है। बिहार के उपराज्यपाल ने विचार–विमर्ष के पष्चात् गाँधीजी के विरूद्ध चालू अभियोग को उठा लेने की आज्ञा दी।

चम्पारण के दंडाधिकारी ने इसकी सूचना गाँधीजी को 21 अप्रैल 1917 ई0 को दी। चम्पारण में गाँधी जी यह पहली नैतिक विजय थी। उनका वह पवित्र काम अब बिना प्रतिरोध के चलने लगा। उपराज्यपाल सर एडवर्ड गेट ने गाँधीजी को मिलने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने राँची जाकर जून महीने में छोटे लाट से भेंट की। उस भेट के परिणामस्वरूप चम्पारण के किसानों की अवस्था के विषय में जानकारी प्राप्त करने हेतु एक जाँच समिति का संगठन किया गया। उस समिति का काम था जाँच कर वस्तुस्थिति का ठीक–ठीक पता लगाना, एवं उसके संबंध में सरकार के पास प्रतिवेदन प्रेषित करना। गाँधीजी भी उस समिति के एक सदस्य निर्वाचित किये गये। उन्होंने उसकी सदस्यता इस षर्त पर स्वीकार की कि जाँच के समय भी वे अपने सहकर्मियों के साथ परामर्ष कर सकेगें, तथा जाँच समिति के सदस्य होने के नाते रैयतों की ओर से बोलने का उनका अधिकार समाप्त नहीं हो जायेगा, और यदि उस जाँच का फल संतोषजनक नहीं होगा तो उन्हें रैयतों के आगे क्या करना चाहिए, इस विषय में उनको राय देने एवं उनका नेतृत्व करने की स्वतंत्रता रहेगी। उपर्युक्त जाँच समिति की अनुषंसा पर ''चम्पारण ऐग्रेरियन बिल'' पारित हुआ। उसके द्वारा चम्पारण के पीड़ीत किसानों के चिर कष्टों का अवसान हुआ। महात्मा गाँधी का चम्पारण का सत्याग्रह पूर्णयता सफलीभूत हुआ। किसानों की विजय हुई। इससे प्रदेष के साथा–साथ सम्पूर्ण भारतवर्ष में सत्याग्रह की अमोध षक्ति पर सब का अडिग विष्वास जम गया। चम्पारण जिले के किसानों की विजय का प्रभाव उत्तर बिहार के तत्कालीन दरभंगा (वर्तमान में समस्तीपुर), मुजफ्फरपुर आदि के निलहे कोठीवालों के उपर भी पड़ा। और उन सब के अत्याचार उत्पीड़न में कमी आई। ढ़ोली–बिरोली, जितवारपुर, बहुआरा, दौलतपुर आदि के कोठीवालों ने अपनी निजी जमीन को बेचना प्रारंभ किया।

चम्पारण के सत्याग्रह में महात्मा गाँधी के साथ उत्तर एवं दक्षिण बिहार के सभी जिलों के लब्ध प्रतिष्ठा राजनीतिक कार्यकत्ताओं एवं देष भक्त मेधावी वकीलों ने जाकर उनके नेतृत्व में काम किया था। ऐसे लोगों में दरभंगा–समस्तीपुर के प्रसिद्ध वकील एवं राजनेताओं ब्रज किषोर प्रसाद, धरनी धर, कपिलदेव सिंह, बलिराम भगत, दरबारी सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह, पटना के वकील राजेन्द्र प्रसाद, गया जिला निवासी अनुग्रह नारायण सिंह, मुंगेर जिला के श्री कृष्ण सिंह, गोरख प्रसाद तथा अन्य अनेको के नाम उल्लेखनीय है जिन्होने गाँधीजी की षांति सेना के विष्वासी सैनिकों के रूप में कार्य किया था। महात्मा गाँधी ने जनकधारी प्रसाद जी के नाम 1925 ई0 में एक पत्र लिखा था। उसमें उन्होंनें अपने चम्पारण के सहकर्मियों के संबंध में अंकित किया था कि उन सब के समान विष्वासी कार्यकर्त्ता उन्हें न कभी पहले प्राप्त हुए और न आगे ही होने की संभावना है। यदि सारे भारतवर्ष में उन सब की कोटि के कार्यकर्त्ता उन्हें प्राप्ति हो जाए तो देष को स्वराज्य की प्राप्ति में अधिक विलम्ब नहीं लगेगा।

महात्मा गाँधी ने चम्पारण जिले के समाज के नीचे स्तर के पद दलित, उत्पीड़ित एवं उपेक्षित जन समुदाय दषा से द्रवीभूत होकर उनके उत्थान हेतु कल्याण कार्य आरंभ करना आवष्यक समझा। उनके अज्ञान एवं परिस्थिति से उदभूत अस्वास्थ्य कर जीवन को उच्च बनाये बिना समाज का स्थायी हित संभव नहीं था। इसके लिए सच्ची षिक्षा की आवष्यकता का उन्होंने अनुभव किया।

राष्ट्रीय परिदृश्य में गाँधी अभी भी प्रमुख सितारे थे। जब कभी भी जन आंदोलन का विचार बनता अधिकांश राजनीतिज्ञ, कार्यकर्त्ता व जनता उन्हें ही नेता चुनने की मंशा व्यक्त करते। गाँधी ने आंदोलन की कार्य योजना बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। उनकी मान्यता थी कि सत्याग्रह के सिद्वान्तों के अनुरूप अहिंसक आंदोलन के माध्यम से राष्ट्रीय स्वतन्त्रता जैसे लक्ष्य भी प्राप्त किए जा सकते है। उन्हें अपनी इस मान्यता पर अभी भी भरोसा था। उनकी यह भी मान्यता थी की भारत को स्वतन्त्रता शीघ्र तथा किसी प्रकार का समझौता किए बिना प्राप्त हो जानी चाहिए। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आवश्यकता पड़ने पर अकेले भी जाने को तैयार थे। इससे लक्ष्य के प्रति उनका दृढ़ निश्चय और समर्पण भाव स्पष्ट होता है। दुर्भाग्य से वे भारत छोड़ो आंदोलन में प्रत्यक्ष रूप से भूमिका नहीं निभा सके क्योंकि उन्हें जेल में डाल दिया गया व अनेक प्रतिबन्ध लगा दिये गए।

निष्कर्ष

गाँधीजी सत्याग्रह को एक क्रमिक विकास के रूप में देखते थे। उनके अनुसार व्यक्ति स्वयं को तप के द्वारा उत्कृष्ट बनाने के लिए निरन्तर कोशिश करता है तथा चेतना के उच्च स्तर को प्राप्त करता है। वह निष्क्रिय प्रतिरोध को गरीबों का हथियार मानते थे और सत्याग्रह को बलवानों का अस्त्र मानते थे। इसमें अहिंसा आवश्यक तत्त्व थी। सत्याग्रह का उद्देश्य सत्य को प्राप्त करना है और उसे किसी भी कीमत पर त्यागा नहीं जा सकता। सत्याग्रह का प्रयोग करने वाला और कानून का विरोध करने वाला हर व्यक्ति परेशानी झेलने को तैयार रहता है।

संदर्भ

1. डा० सीताराम झा ''श्याम'' : भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की रुप रेखा, पृ. 82
2. Datta KK. Freedom Movement in Bihar, Vol. 1, P 149.
3. कामेश्वरी चरण सिंहाः मै और मेरी साथी, पृ. 1.2
4. Datta KK. Quoted from. Freedom Movement in Bihar P 54.
5. Pecited by Rabindranath in the specing innocation of the Indian National congress P 148.